सं. 14036/434/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक : 19 जून, 2013

आदेश

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री हंसराज द्वारा प्रस्तुत अपील।

जबकि श्री हंसराज पुत्र श्री राम सहाय निवासी-ई-2/11, प्रताप विहार पार्ट-III, किराड़ी सुलेमान नगर, दिल्ली-110086 ने अपने आर टी आई आवेदन का प्रत्युत्तर न दिए जाने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपनी दिनांक रहित प्रथम अपील प्रस्तुत की है (इस अनुभाग में दिनांक 24.05.2013 को प्राप्त)।

2. जबकि दिनांक 15.4.2013 को इस अनुभाग में श्री हंसराज का एक दिनांक रहित आर टी आई आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें दिल्ली में यौन उत्पीड़न, बलात्कार के मामलों और छेड़छाड़ के मामलों में संलिप्त पाए गए दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के बारे में सूचना मांगी गई थी। आर टी आई आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार इस संबंध में सूचना दिल्ली पुलिस द्वारा आवेदक को पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और चेन्नई के विभिन्न राज्य पुलिस कार्मिकों के खिलाफ दर्ज शिकायतों सहित अनेक अस्पष्ट प्रश्नों के बारे में सूचना जाननी चाही है।

3. जबकि श्री हंसराज द्वारा मांगी गई सूचना विभिन्न लोक प्राधिकरणों और राज्य पुलिस/सरकारों से संबंधित है और यदि कोई छोटी सी जानकारी इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है, तो वह भी संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, इस मंत्रालय के दिनांक 22 अप्रैल, 2013 के पत्र सं. 14036/301/2013-यू टी पी (प्रति संलग्न) के तहत आवेदक को उत्तर दे दिया गया था।

390 4. चूंकि हमारे दिनांक 22 अप्रैल, 2013 के पत्र सं. 14036/301/2013-यू टी पी के तहत आवेदक को पहले ही अपेक्षित उत्तर दिया जा चुका है इसलिए श्री हंसराज द्वारा प्रस्तुत अपील का निपटान किया जाता है।

(के. के. पाठक)
संयुक्त सचिव (यू टी) एवं
अपील प्राधिकारी
दूरभाष : 2309 2514

सेवा में

श्री हंसराज पुत्र श्री राम सहाय,
निवासी ई-2/11, प्रताप विहार पार्ट-III,
किराड़ी सुलेमान नगर,
दिल्ली-110086

Issued with Encl
1694
27/6
9C